नवभारत

3 बच्चों के कारण सदस्य की अयोग्यता पर रोक

■ मुंबई (सं). एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने परेल स्थित गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स सहकारी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के प्रबंध समिति सदस्य रामचंद्र नवलू झोरे की अयोग्यता पर अंतरिम रोक लगा दी है. झोरे को तीन बच्चे होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था. न्यायमूर्ति आर. एम. जोशी द्वारा पारित इस अंतरिम आदेश ने झोरे को रिट याचिका संख्या 12266/2024 की अंतिम सुनवाई तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है. झोरे 2022-23 से 2027-28 तक के लिए प्रबंध समिति के सदस्य चुने गए थे.

कानूनी लड़ाई में फैसले से नया मोड़

31 मई 2024 को एक शिकायत के आधार पर उनको पद से हटा दिया गया था.आरोप लगाया गया था कि उन्होंने महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम के दो से अधिक बच्चों के नियम का उल्लंघन किया है, जो समिति सदस्य के लिए अयोग्यता का कारण बनता है. उनकी अपील को सहकारी विभाग के उप-निबंधक और विभागीय संयुक्त निबंधक द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने न्याय की उम्मीद में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. झोरे के अधिवक्ता एड. मनोज जायसवाल ने कोर्ट के समक्ष पुरजोर तरीके से तर्क रखा कि यह अयोग्यता न केवल अन्यायपूर्ण थी, बल्कि कानून के विरुद्ध भी थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सहकारी सो.अधिनियम के तहत हाउसिंग सोसाइटीज को दायरे से छूट प्राप्त है. इसके अलावा अनुच्छेद 14 व 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन किया है. 27 सितंबर 2024 को हुई सुनवाई के बाद न्या.आर.एम. जोशी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए झोरे की अयोग्यता पर 19 नवंबर 2024 तक अंतरिम रोक लगा दी.

Mumbai plus Edition
Oct 05, 2024 Page No. 3
Powered by: navbharatlive.com

9:45 AM